

प्रेषक,

निर्मला श्रीवास्तव,
अनु. सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उ०प्र०, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 21 जुलाई, 2014

विषय : वित्तीय वर्ष 2014-15 में विपणन विकास सहायता कार्यक्रम योजना (एस०सी०एस०पी०) के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र संख्या-61/खा०ग्रा०बो०/वजट/प्रचार अनु०/ 2014-15, दिनांक 06 जून, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के लिए लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू० 1,40,20,000.00 (रू० एक करोड़ चालीस लाख बीस हजार मात्र) में से प्रथम चार माह हेतु धनराशि रू० 46,12,000.00 (रू० छियालिस लाख बारह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा/ निर्देशों एवं शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० के मानकों व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- स्वीकृत धनराशि के व्यय का नियमानुसार प्रमाण पत्र ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं उसके व्यय/उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में योजना की गाईड लाइन्स को पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसका उपयोग/व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

श्रीमती शशी किरा

23/7/14

6. स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय की सीमान्तगत ही व्यय की जायेगी। किसी प्रकार के विचलन की स्थिति में प्रशासकीय विभाग स्वयं उत्तरदायी होंगे।
2. उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -08-विपणन विकास सहायता कार्यक्रम -27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय झाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में निहित व्यवस्थानुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
(निर्मला श्रीवास्तव)
अनु सचिव

संख्या : 430 (1)/59-2-2014-24(खा)/2009 तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, कृटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
6. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-3
8. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ०प्र०, 126, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० इलाहाबाद।
10. एन०आई०सी०/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(निर्मला श्रीवास्तव)
अनु सचिव